भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 353

जिसका उत्तर सोमवार, 5 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया गया

बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने में अनियमितताएं

353. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तिथि के अनुसार विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कितने सीमांत किसानों को हैंड पंप लगाने के लिए राज्यवार ऋण प्रदान किया गया है;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान इन ऋणों की मंजूरी में अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों के पास कृषि भूमि पर हैंड पंप स्थापित किये जाने को वित्तपोषित करने हेतु कोई विशिष्ट ऋण उत्पाद नहीं है।

विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष (दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लघु और सीमांत किसानों को संवितरित किये गये कृषि ऋण का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	एजेंसी	राशि
2020-21	सहकारी बैंक	1,36,465
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,24,171
2021-22	सहकारी बैंक	1,55,254
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,47,900
2022-23	सहकारी बैंक	1,74,224
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,63,956
2023-24	सहकारी बैंक	1,13,185
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1,52,023

स्रोत: नाबार्ड

******